29

न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू, ग्वालियर, कैम्प कोर्ट, रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित   विलोपित / विलोपित   Rs. 30/-

R 5046-II/17

लखन कुमार तनय श्री जगदीश प्रसाद गौतम, उम्र 72 साल, पेशा खेती
निवासी ग्राम भिटवा, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 —निगरानीकर्ता

बनाम

अधि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत 2-2-17

1:- सुरेन्द्र कुमार तनय श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय सा0 बिछिया रीवा, तह0 हुजूर रीवा म0प्र0
2(क) रिपुदमन पाण्डेय तनय स्व0 सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय
2(ख) बेवा विमलेश पाण्डेय पत्नी स्व0 सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय
ललपा तालाब के पास चिरहुला, तह0 हुजूर जिला रीवा
3:- देवेन्द्र कुमार तनय श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय सा0 बिछिया रीवा
तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 —— गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर
आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा तह0 हुजूर
रीवा प्र0क्र0 655/निगरानी/06-07
आदेश दि0 25-01-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0
1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि गैर निगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश दि0 14-11-2001 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय रीवा के समक्ष दि0 19-6-2003 को पेश किया जिसमें यह अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय के आदेश दि0 14-11-2001 की जानकारी गैरनिगरानीकर्ता

लखनकुमार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5046/दो/17 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा, यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 655/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14/11/2001 के विरूद्ध दिनांक 19/06/2003 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की, उनके द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय में अनावेदक पक्षकार नहीं था इसलिए उसे उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। इसलिए उनके द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलंब को क्षमा किया है इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर यह पाया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब	

तहसीलदार वृत वनकुईया के द्वारा दिनांक 14/11/2001 को उपरोक्त वर्णित आराजियों का अपीलार्थी को भूमि घोषित किया गया है। आराजी न. 186 व आराजी न. 162 गैर निगरानीकर्ता के आबादी व निस्तार की भूमि थी जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के अपील को समय सीमा में मान्य कर प्राकृतिक न्याय सिद्धातों का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं माना। उनका आदेश स्थिर रखा है। अत: अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 655/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य